UPKN010066232026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर।

उपस्थितः अनमोल पाल..................एच0जे0एस0

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 2281/2026

सौरभ वर्मा उर्फ सुभाष उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र श्री छुटकऊ वर्मा निवासी मकान नं0–77 उस्मानपुर गांव, थाना हनुमंत विहार, कानपुर नगर।

........आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), कानपुर नगर।

........विपक्षी

मु0अ0सं0–125/2026
धारा–109(1),115(2),191(2),351(3), 117(2) बी0एन0एस0
थाना–हनुमंत विहार, कानपुर नगर

18.06.2026

1. वर्तमान प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त सौरभ वर्मा उर्फ सुभाष की ओर से मुकदमा अपराध सं0 125/2026, धारा–109(1), 115(2), 191(2), 351(3), 117(2) बी0एन0एस0, थाना हनुमंत विहार, कानपुर नगर में अग्रिम जमानत हेतु संस्थित किया गया है।
2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती राम जानकी पाल द्वारा तहरीर इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 24.05.2026 को रात में मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा वादिनी एवं उसके परिवार के साथ झगड़ा एवं मारपीट की गयी थी जिसमें वादिनी के पति लालजी पाल का हाथ तोड़ दिया गया था। उक्त घटना के संबंध में वादिनी द्वारा थाने में प्रार्थनापत्र दिया गया था जिस पर कार्यवाही चल रही थी किन्तु दिनांक 25.05.2026 को पुनः विकास वर्मा, सौरभ वर्मा, हिमांशू वर्मा, ऋषभ वर्मा व लगभग 15–20 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी एवं उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। इन लोगों ने वादिनी पक्ष के लोगों को मारपीटकर उनके सिर फोड दिए तथा जान से मारने का प्रयास किया व धमकी दी कि अभी भी वक्त है, तहरीर वापस ले लो, अभी तो जिंदा छोड़ दिया है अन्यथा जान भी जा सकती है। चोटहिल रितिक सिंह, निलेश पाल है। विपक्षीगण जिलाबदर अपराधी है। वादिनी एवं उसके परिवार को आपराधियों के द्वारा जानमाल का खतरा है।
3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना हनुमंत विहार, कानपुर नगर में अभियुक्त विकास वर्मा, सौरभ वर्मा, हिमांशू वर्मा, ऋषभ वर्मा तथा अन्य 15–20 लोग के विरूद्ध मु0अ0सं0 125/2026, धारा–109, 115(2), 191(2), 351(3) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दिनांक 25.05.2026 को

अभियोग पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 109 बी0एन0एस0 को धारा 109(1) बी0एन0एस0 में तरमीम किया गया तथा धारा 117(2) बी0एन0एस0 की बढोत्तरी की गयी।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए तर्क दिया गया कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है। थाने की पुलिस आवेदक को हैरान व परेशान कर रही है तथा बराबर घर पर दबिश दे रही है व गिरफ्तारी की धमकी दे रही है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक का भान्जा हिमांशू वर्मा एक वर्ष बाद बाहर से अपने घर दिनांक 24.05.2026 को पार्टी के आयोजन में शामिल होने आया था उसी दिन वादिनी के पुत्रगण नीलेश पाल, नितिन पाल एवं पति राजू पाल ने आवेदक के भांजे हिमांशू वर्मा को जातिसूचक गाली देते हुए लोहे की राड से सिर पर प्रहार कर लहूलुहान कर दिया था जिसके संबंध में हिमांशू वर्मा द्वारा मु0अ0सं0 124/2026 धारा 191(2), 115(2), 352, 351(3) बी0एन0एस0 व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)V एससी/एसटी एक्ट दर्ज कराया था जिसकी जानकारी अभियुक्तगण को हुई तो उन्होनें षडयंत्र करके पेशबंदी में मुदमा दर्ज कराया है। उक्त घटना का पुलिस को ट्वीट किया गया था जिसका जवाब पुलिस कमिश्नर की ओर से दिया गया है। यदि वास्तव में कथित घटना में वादिनी के पति का हाथ तोडा गया होता तो उसने दिनांक 24.05.2026 को अपने पति के हाथ तोडने वाले कथन में आवेदक का नाम अवश्य अंकित किया होता। प्रथम सूचना रिपोर्ट एक दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी है जिसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तथा घटना का कोई समय अंकित नहीं किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गयी है, सभी का कॉमन रोल दर्शाया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में धारा 109 बीएनएस का कोई अपराध नहीं बनता है। मामले में किसी की मृत्यु कारित करने का दुराशय उपस्थित नहीं है और न ही किसी की मृत्यु कारित करने का स्पष्ट इरादा या ज्ञान प्रस्तुत प्रकरण की एफ0आई0आर0 से स्पष्ट होता है। चोटहिलों को आयी चोटें साधारण प्रकृति की है। आवेदक मानसिक रूप से अस्वस्थ है उसके सिर के बाये हिस्से में अन्दरूनी सूजन है और दौरे पड़ते है, उसका इलाज चल रहा है। आवेदक की ओर से विधि व्यवस्था सतेन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सीबीआई व सुशीला अग्रवाल आदि बनाम राज्य(दिल्ली एनसीटी) आदि का उद्धरण अंकित करते हुए अग्रिम जमानत की याचना की गयी है। आवेदक का आपराधिक इतिहास है। आवेदक अग्रिम जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा, अतः अग्रिम जमानत स्वीकार की जाये।

5. राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं वादिनी मुकदमा की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा संयुक्त रूप से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि दिनांक 24.05.2026 को रात में मोहल्ले के कुछ लोगों द्वारा वादिनी एवं उसके परिवार के साथ झगड़ा एवं मारपीट की गयी

थी जिसमें वादिनी के पति लालजी पाल का हाथ तोड़ दिया गया था। उक्त घटना के संबंध में वादिनी द्वारा थाने में प्रार्थनापत्र दिया गया था जिस पर कार्यवाही चल रही थी किन्तु दिनांक 25.05.2026 को पुनः अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादिनी एवं उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया व धमकी दी कि अभी भी वक्त है, तहरीर वापस ले लो, अभी तो जिंदा छोड़ दिया है अन्यथा जान भी जा सकती है। कथित घटना में लालजी पाल, नितिन कुमार गुप्ता एवं रितिक सिंह को चोटें आई हैं तथा चोटहिल लालजी पाल की पूरक मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर साफ्ट रेडियस बोन पाया गया है। चिकित्सक द्वारा अपने बयान में चोटों की पुष्टि की गयी है। चोटहिल लालजी पाल, रितिक सिंह, नितिन कुमार गुप्ता के बयान अंकित किये गये है जिन्होनें घटना का समर्थन किया है। कथित घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी संकलित किया गया है। वादिनी मुकदमा की ओर से तर्क दिया गया है कि अभियुक्त द्वारा अपने अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में आपराधिक इतिहास का स्पष्ट वर्णन नहीं किया गया है जबकि अभियुक्त का चार मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में आपराधिक इतिहास से संबंधित तथ्य को छिपाया गया है, मात्र इसी आधार पर अग्रिम जमानत निरस्त होने योग्य है। अभियुक्त अभ्यासतः अपराधी है। कथित घटना में चोटहिलों को आयी चोटें गंभीर प्रकृति की है मामले में विवेचना अभी प्रचलित है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है, अग्रिम जमानत निरस्त की जाये।

6. मैने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7. चोटहिल लालजी पाल के मेडिकल परीक्षण में निम्नलिखित चोट पायी गयी है :–

   1. दाहिनी अग्रबाहू में कलाई जोड़ से लगभग 8 सेमी ऊपर 15X7 सेमी आकार की सूजनयुक्त घर्षित चोट पायी गयी है जो अण्डाकार आकार की थी। उक्त चोट को निगरानी में रखते हुए ए.पी. एवं लैटरल एक्स–रे कराने तथा रेडियोलाजिस्ट से विशेषज्ञ राय प्राप्त करने हेतु संदर्भित किया गया।

   2. दाहिने कंधे के ऊपरी भाग पर 6 सेमी X 2 सेमी आकार की नीलगू चोट पायी गयी।

   चोटहिल नितिन कुमार गुप्ता के मेडिकल परीक्षण में Lacerated Wound, Abrasion, Contusion की 11 चोटें पायी गयी है तथा चोट सं0–1, 7 व 10 को निगरानी में रखे हुए एक्स–रे हेतु संदर्भित किया गया है।

   चोटहिल रितिक सिंह के मेडिकल परीक्षण में सिर के आक्सिपिटल एवं पैराइटल क्षेत्र में लीनियर लैसरेटेड घाव, कन्टयूजन व होंठ व ऊपरी पीठा पर अब्रेडेड कन्टयूजन की चोट पायी गयी हैं। चिकित्सक द्वारा न्यूरोलाजी विभाग में विशेषज्ञ राय एवं उपचार हेतु रेफर किया गया है।

8. दौरान विवेचना साक्षीगण के बयान अंकित किये गये हैं। वादिनी मुकदमा श्रीमती रामजानकी पाल द्वारा अपने बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का समर्थन किया गया है।
9. चोटहिल/चश्मदीद साक्षी लालजी पाल द्वारा अपने बयान में कथन किया गया है कि दिनांक 24.05.2026 को वह अपने घर के पास वाले शिवजी मंदिर में पूजा करने के बाद अपने घर चला तो मंदिर प्रांगण में पहले से आपस में गाली–गलौज कर रहे हिमांशु वर्मा आदि लोगों को मंदिर के पास ऐसा आचरण करने के लिये मना किया तो वहॉ मौजूद विकास वर्मा उर्फ बीरू ने हिमांशु वर्मा से कहा कि मारो इस साले को यह बहुत नेता बनता है फिर हिमांशु वर्मा ने पास पडे गुम्मे को उठाकर उसे मारा जिससे उसका हाथ टूट गया जिसका मेडिकल पुलिस द्वारा कराया गया फिर इसी बात से रंजिश मानकर उसके मामले की पैरवी करने वाले उसके मित्र नितिन गुप्ता व उसके बेटे के मित्र रितिक सिंह को दिनांक 25.05.2026 को गणेश पार्क के पास घात लगाकर जान से मारने की नीयत से उसके सिर को निशाल बनाकर गुम्मा से उसके सिर में कई गंभीर चोटें पहुॅचाई। यदि उसका बेटा निलेश दिनांक 25.05.2026 की घटना के समय मौके पर नहीं पहुॅचता तो विकास वर्मा उर्फ वीरू, सौरभ वर्मा, ऋषभ वर्मा, हिमांशु वर्मा आदि रितिक सिंह व नितिन गुप्ता को जान से मार देते। इसी प्रकार बयान अन्य चोटहिल साक्षीगण रितिक सिंह, नितिन कुमार गुप्ता व निलेश पाल द्वारा भी अपने बयानों में किया गया है।
10. दौरान विवेचना केस डायरी के पर्चा सं0–3 में घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन अंकित किया गया है जिसके अनुसार 15 से 20 की संख्या में लोग उपस्थित है जिनमें कुछ बच्चे व महिलायें भी शामिल दिखाई दे रहे है। सीसीटीवी फुटेज को देखकर पीडित द्वारा पहचान कर बताया गया कि समय 19.41 पर घटनास्थल से गुम्मा उठाकर उसे मारने वाले विकास वर्मा उर्फ वीरू, उसका भाई सौरभ वर्मा तथा उनका अन्य सहयोग ऋषभ वर्मा व हिमांशु वर्मा है व अन्य कुछ नाबालिग उम्र के लडके हैं जिनके द्वारा समय 19.46 पर नितिन गुप्ता पर मोटरसाइकिल से जाते समय उसके सिर पर गुम्मा चलाकर जान से मारने का प्रयास सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है।
11. थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध वर्तमान मुकदमें के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य मुकदमें दर्ज हैं–

    1.मु0अ0सं0 751/2016 धारा 452,323,504,506,336,427 भा0दं0सं0 थाना नौबस्ता, कानपुर नगर।

    2.मु0अ0सं0 383/2021 धारा 147,148,149,323,308,336,427 भा0दं0 सं0 थाना नौबस्ता, कानपुर नगर।

    3.मु0अ0सं0 65/2023 धारा 323,504,506,336,352,452 भा0दं0सं0 थाना हनुमंत विहार, कानपुर नगर।

    4.मु0अ0सं0 128/2026 धारा 191(2),333,115(2),352,351(3), 324(4), 125 बीएनएस थाना हनुमंत विहार, कानपुर नगर।

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मध्य प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शुक्ला (2014) 2 एस0सी0सी0 171** के मामले में धारित किया गया है कि धारा–438 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा शक्तियों के प्रयोग की प्रकृति असाधारण है, इसे मात्र अपवादिक स्थितियों में प्रयोग किया जाना चाहिए–
    1. जहां यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति को झूठा फंसाया गया है, अथवा
    2. जहां यह धारित करने के लिए युक्ति–युक्त आधार है कि अपराध के अभियुक्त को अन्यथा अपने स्वतंत्रता का दुरूपयोग करने की संभावना नहीं है।
13. चोटहिल लालजी पाल की पेरक मेडिकल रिपोर्ट में फ्रैक्चर होना पाया गया है। दौरान विवेचना उपरोक्त साक्षीगण के बयानों में स्पष्ट रूप से आवेदक/अभियुक्त की भूमिका दर्शित की गयी है तथा दौरान विवेचना संकलित सीसीटीवी फुटेज में भी कथित घटना कारित करते हुए आवेदक/अभियुक्त की पहचान की गयी है तथा आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। आवेदक का चार मुकदमों का आपराधिक इतिहास भी है। प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है।
14. दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या मामले मे आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका प्रतीत होती है, अतः इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक को इस प्रकार गिरफ्तार कराकर क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया हो। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों मे आवेदक/अभियुक्त की अग्रिम जमानत स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

15. आवेदक/अभियुक्त सौरभ वर्मा उर्फ सुभाष का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।
16. आदेश की एक प्रति रिमाण्ड प्रपत्र मे संलग्न किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

(अनमोल पाल)
आई.डी. यू.पी.1880
सत्र न्यायाधीश,
कानपुर नगर।

दिनांकः 18.06.2026
मनोज

Digitally signed by ANMOL PAL
Date: 2026.06.18 16:49:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court